

पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/पुमु/2/चयन/स-1/ 846 /2026 भोपाल
प्रति,

दिनांक 16/07/2026

नियंत्रक,
कर्मचारी चयन मण्डल,
भोपाल

विषय:- सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग भर्ती वर्ष 2025 में चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल एवं चरित्र सत्यापन हेतु नोडल केन्द्र पर उपस्थित होने की सूचना के संबंध में।

--00--

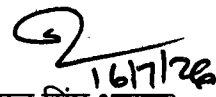
कृपया विषयांतर्गत लेख है कि सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग भर्ती वर्ष 2025 का अंतिम परीक्षा परिणाम आपकी वेबसाइट पर जारी दिनांक 07.07.2026 को जारी किया गया है।

उक्त संबंध में लेख है कि सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग भर्ती वर्ष 2025 में अंतिम रूप से चयनित 434 उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्यवाही अंतर्गत दस्तावेज परीक्षण, चरित्र सत्यापन (प्रारूप संलग्न) एवं मेडिकल परीक्षण हेतु उम्मीदवार के गृह जिले के आधार पर प्रदेश के 04 जिलों में नोडल केन्द्र (भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर) बनाए गये हैं।

प्रत्येक नोडल केन्द्र के अंतर्गत जिलों का आवंटन पुलिस मुख्यालय द्वारा परिशिष्ट-1 अनुसार किया गया है। उम्मीदवार को नोडल केन्द्र पर उक्त कार्यवाही हेतु उपस्थित होना है।

अतः चयनित उम्मीदवारों को नोडल केन्द्र पर उपस्थित होने हेतु कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल की वेबसाइट पर सूचित किया जाना है। कृपया सूचना पत्र में आवेदक का नाम, आवेदन क्रमांक, श्रेणी, जाति, लिंग के साथ चयनित पद का नाम, नोडल केन्द्र का नाम, दिनांक व समय अंकित किया जाना है। जानकारी हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में संलग्न है। उम्मीदवारों को जारी किये जाने वाले संलग्न निर्देशों एवं अनुप्रमाण फार्म को भी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें। (संलग्न-3 परोक्षानुसार)

(अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चयन/भर्ती द्वारा अनुमोदित)



(गोपाल सिंह धाकड़)

सहायक पुलिस महानिरीक्षक(चयन/भर्ती)

पुलिस मुख्यालय, भोपाल

Subedar/Sub-Inspector 2025
Document Verification, Medical and Character verification

S.No.	Nodal Centre- Gwalior	Nodal Centre- Bhopal	Nodal Centre- Jabalpur	Nodal Centre- Indore
	Home District	Home District	Home District	Home District
1	Gwalior	Bhopal	Jabalpur	Indore
2	Morena	Sehore	Katni	Ujjain
3	Bhind	Raisen	Chindwara	Dhar
4	Seopur	Vidisha	Seoni	Jhabua
5	Shivpuri	Rajgarh	Mandla	Alirajpur
6	Datia	Narmadapuram	Balaghat	Badwani
7	Guna	Harda	Damoh	Khargone
8	Ashoknagar	Betul	Sagar	Khandwa
9	Niwari	Dewas	Panna	Burhanpur
10	Tikamgarh	Shajapur	Chatarpur	Ratlam
11		Agar Malwa	Satna	Mandaur
12		Narsinghpur	Rewa	Neemuch
13			Sidhi	
14			Singrauli	
15			Umaria	
16			Shahdol	
17			Anuppur	



उम्मीदवारों के लिए आवश्यक निर्देश

उम्मीदवार को कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल की वेबसाईट से अपना इकाई आवंटन पत्र, आवश्यक निर्देश एवं अनुप्रमाणन फार्म(पूर्ण भरकर) डाउनलोड कर, उसका प्रिन्टआउट लेकर निर्धारित दिनांक एवं समय पर संबंधित नोडल केन्द्र पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है।

नोडल केन्द्र पर उम्मीदवार को अपने साथ 04 पासपोर्ट साइज फोटो व दस्तावेज परीक्षण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज लाना अनिवार्य है :-

- आधार कार्ड
- जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इंटरमीडियेट(10+2) की अंकसूची, जिसमें जन्मतिथि लिखी हो।
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी (गैर क्रीमीलेयर) उम्मीदवारों को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि, इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये।
- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी किया गया ई.डब्ल्यू.एस का प्रमाण-पत्र।
- उभयलिंगी (Transgender) उम्मीदवार के लिये कलेक्टर द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में उभयलिंगी प्रमाण पत्र ।
- स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन कमीशनड अधिकारियों/अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सेवाकाल का प्रमाण-पत्र।
- पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण-पत्र एवं नियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पती में से उच्च जाति के पति/पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये पुरूस्कार संबंधी प्रमाण-पत्र।
- "विक्रम पुरूस्कार" प्राप्त अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट हेतु "विक्रम पुरूस्कार" सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
- विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र।
- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण-पत्र अर्थात समस्त प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु म.प्र. राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- भूतपूर्व सैनिकों के लिये जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
- 5 प्रतिशत बोनस अंक हेतु NCC-C सर्टिफिकेट/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण-पत्र(यदि लागू हो)



नोट :-

1. उम्मीदवार उक्त क्रम में ही मूल दस्तावेज और उसी क्रम में उनकी स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियाँ लगा कर, दस्तावेज परीक्षण अधिकारी के पास उपस्थित होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा।
2. उम्मीदवार को कर्मचारी चयन मण्डल की बेवसाइट से अपना इकाई आवंटन पत्र एवं अनुप्रमाणन फार्म डाउनलोड कर प्रिन्टआउट लेकर नोडल केन्द्र में उपस्थित होना है।
3. अनुप्रमाणन फार्म(दो प्रतियों में) पूर्ण रूप से भरकर(विशेषकर कॉलम 12) एवं अनुप्रमाणन फार्म के पहचान प्रमाण-पत्र को एक राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर कराकर नोडल केन्द्र में लाना है।



परिशिष्ट - एक
(देखिये पैरा-3(क))
अनुप्रमाणन फार्म

यहां पर पासपोर्ट
साइज का
स्वहस्ताक्षरित
फोटो चिपकायें

चेतावनी :-

अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अर्नहता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा।

2 यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा जुर्माना किया जाता है या उसे दोषसिद्ध पाया जाता है अथवा उसे विसर्जित किया जाता है या दोष मुक्त किया जाता है तो ब्योरे, यथा स्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किया जाना चाहिए अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि यह उन मामलों के पूरे ब्योरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, यदि भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिए गए हों (खात्मा) वापस ले लिये गए हो, या उनमें अन्ततः दोषमुक्ति हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो।

यदि तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो, उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) तथा उपनाम कुलनाम (सरनेम).....
यदि कोई हो यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुल नाम में (कुछ जोड़ा नाम.....
हो या हटाया हो तो कृपया इसका उल्लेख कीजिए)

2. वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम थाना तथा जिला या घर कमांक गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और राज्य जिसमें वह स्थित हो)

3. (क) घर का पूरा पता (अर्थात् ग्राम थाना तथा जिला या घर कमांक गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय का नाम और राज्य जिसमें वह स्थित हो)

(क)

3. (ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवास की तारीख

(ख)

4. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्योरे जहां आप पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहें हो, यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्योरे दिए जाने चाहिए जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हो।

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला, अर्थात् घर कमांक गली, (मार्ग) सड़क तथा नगर	पूर्ववर्ती खने में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हो।
(1)	(2)	(3)	(4)

5. (क) पिता का पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो (क)
- (ख) वर्तमान डाक-पता यदि स्वर्गवासी हों तो (ख)
- पिछला पता दीजिए
- (ग) घर का स्थायी पता (ग)
- (घ) व्यवसाय (घ)
- (ङ) यदि किसी सेवा में हो तो उनका (ङ)
- पदनाम तथा कार्यालय का पता दीजिए।

6. (एक) नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता

- (क) पिता (क)
- (ख) माता (ख)
- (ग) पति/पत्नी (ग)
- (घ) उम्मीदवार (घ)
- (दो) पति/पत्नी का जन्म स्थान (दो)

7. (क) जन्म तारिख (क)
 (ख) वर्तमान आयु (ख)
 (ग) हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु / (ग)

8. (क) जन्म स्थान जिला तथा राज्य (क)
 जिसमें वह स्थित हो।
 (ख) वह जिला तथा राज्य जहां के आप निवासी हैं (ख)

9. (क) आपका धर्म (क)
 (ख) क्या आप अनुसूचित जाति (ख)

अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य हैं ?

हां या नहीं मैं उत्तर दीजिए और यदि आपका उत्तर हां में

हो तो उस जाति विशेष का नाम लिखिए

10. शैक्षणिक अर्हताएं :-
 वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए
 जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों
 में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो।

शाला / महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता	प्रवेश की तारीख	शाला / महा- विद्यालय छोड़ने की तारीख	उत्तीर्ण परीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)

11. यदि आप कभी नियोजित रहे हो तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए :-

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप	अवधि से.....तक	कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा छोड़ने के कारण
1	2	3	4

12. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किए गये हैं ? क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है ? क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं या आपसे मुचलका लिया गया है / आप पर जुर्माना किया गया है ? क्या आप किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं / किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है उसके लिये अनर्ह ठहराया गया है या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है / निष्कासित किया गया है ?

(ख) इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है ?

यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हां में हो तो आपको इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माना दोषसिद्ध तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय / विश्वविद्यालय / शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए, इस जानकारी के अतिरिक्त, जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिये जाएंगे :-

- (एक) अपराध/आरोप
 (दो) पुलिस थाने में पंजीबद्ध
 (तीन) यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम
 (चार) मामले का कमांक न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया
 (पांच) दिया गया दण्ड
 (छ) क्या दोषमुक्त कर दिया गया ?
 (सात) दोषमुक्त संदेह के लाभ पर आधारित थी मामला वापस ले लिया गया था।
 (ग) क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया था अथवा किया गया है, के सदस्य हैं, या उससे सहयोजित रहे हैं ? यदि ऐसा हो, तो पूर्ण विशिष्टता दें जैसे संगम संगठन का नाम सदस्यता अथवा सम्बद्धता की कालावधि/अवधि/इत्यादि। अपूर्ण फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। न्यायालय से तथ्यों के आधार पर दोषमुक्त प्रत्याशी सेवा के योग्य होगा।

टिप्पणी :- अभ्यार्थी इस अनुप्रमाणन फार्म के उपर दी गई चेतावनी नोट करें।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख.....स्थान.....

- 13 आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी
 व्यक्तियों या दो निदेशियों के नाम जो
 आपको जानते हो।

(1)

(2)

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख.....स्थान.....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहाँ-तक मुझे पता है और जहाँ-तक मेरा विश्वास है, सही और पूर्ण है, मैं ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिनके कारण शाला के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण हो तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए तो नियुक्ति प्राधिकारी को, बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख.....स्थान.....

पहचान प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होना चाहिये :-

- | | | | |
|--------|---|-------|---|
| (एक) | केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, | (दो) | संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य |
| (तीन) | सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/अधिकारी, | (चार) | तहसीलदार या नायब/उप तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, |
| (पांच) | शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख | (छः) | खण्ड विकास अधिकारी, |
| (सात) | पोस्ट मास्टर | (आठ) | पंचायत निरीक्षक |

प्रमाणित किया जाता है कि मैं /श्री/ श्रीमती/कुमारी.....

पिता/पति का नाम श्री.....को पिछले.....वर्ष.....

.....माह से जानता हूँ तथा उनके द्वारा दिए गए ब्यौरे, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक

मेरा विश्वास है, सही है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

तारीख.....

पदनाम या

स्थिति तथा

पता

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम पदनाम
और पूरा पता

- (दो) वह पद जिसके लिए उम्मीदवार के
संबंध में विचार किया जा रहा है